हिंदी को राष्ट्रभाषा बताया तो तेलगू भाषी ने दी फैसले को चुनौती

महाराष्ट्र में गिरफ्तार एक तेलुगी भाषी आरोपी ने अपनी जमानत याचिका अस्वीकार करने के बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। उसका तर्क है कि उसे महाराष्ट्र पुलिस ने मेरे अधिकारों की सूचना हिंदी में दी। जबकि वह केवल तेलुगू भाषा समझता है। इससे पहले इस शख्स ने बॉम्बे हाईकोर्ट में अपील की थीं। लेकिन बॉम्बे हाईकोर्ट ने इस टिप्पणी के साथ जमानत देने से इनकार कर दिया था कि हिंदी में रेड्डी को उनके अधिकारों के बारे में बताया गया था। ये हमारी राष्ट्रीय भाषा है।

हैदराबाद निवासी याचिकाकर्ता गंगम सुधीर कुमार रेड्डी को मुंबई पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के एक मामले में गिरफ्तार किया था। वो एक टूर एंड ट्रैवल कंपनी का मालिक है। उसे मुंबई में गिरफ्तार किया गया था। पुलिस के मुताबिक उसके वाहन से एक व्यावसायिक मात्रा में प्रतिबंधित पदार्थ बरामद किया था। इसके बाद पुलिस ने उसे कोर्ट में पेश किया।

रेड्डी ने एनडीपीएस एक्ट की धारा 50 का पालन न करने का हवाला देते हुए जमानत मांगी, जिसे हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया। फैसले में कहा गया कि रेड्डी टूर एंड ट्रैवल कंपनी से जुड़ा है। ऐसे व्यवसाय में एक व्यक्ति की सबसे बड़ी जरूरत भाषा और कम्युनिकेशन स्किल होता है। हाईकोर्ट के अनुसार आरोपी को राष्ट्रभाषा हिंदी में उसके अधिकारों की जानकारी दी गई थी। उसका पेशा ही यहां से वहां जाकर लोगों से कम्युनिकेशन करना होता है। उसे हिंदी आनी चाहिए।